उत्तर प्रदेश शासन
राज्य कर अनुभाग-2
संख्या-1240/ग्यारह-2-22-9(47)/17-टी.सी.203-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(258)-2022

लखनऊः दिनांकः 31 दिसम्बर, 2022

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 9 की उप धारा (3) और उप धारा (4), धारा 11 की उप धारा (1) और उप धारा (3), धारा 15 की उपधारा (5), और धारा 148 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, इस बात का समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, अधिसूचना संख्या क0नि0-2-843/ग्यारह-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(10)-2017 दिनांक-30-06-2017, में अग्रतर निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में,-

(i) क्रम संख्या 12 के समक्ष, स्तंभ (3) में, प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:-

"स्पष्टीकरण - इस प्रविष्टि के अधीन छूट के प्रयोजन के लिए, इस प्रविष्टि में किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को रिहायशी आवास किराए पर देने के माध्यम से सेवाएं आच्छादित होंगी, जहाँ,-

(i) ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति किसी स्वत्वधारी समुत्थान का स्वत्वधारी हो और कोई रिहायशी आवास अपनी व्यक्तिगत क्षमता में अपने निवास के रूप में उपयोग करने के लिए किराए पर लेता हो; और

(ii) इस तरह का किराया उसके अपने खाते पर हो न कि स्वत्वधारी समुत्थान पर हो;"

(ii) क्रम संख्या 23क और उससे संबंधित प्रविष्टियाँ निकाल दी जायेंगी।

2. यह अधिसूचना तारीख 01 जनवरी, 2023 से प्रवृत्त होगी।

आज्ञा से,

(नितिन रमेश गोकर्ण)
प्रमुख सचिव